RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-05
May-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

# छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज नीति एक अध्ययन

[1]डॉ. एच. एस. भाटिया; [2]डॉ. श्वेता तिवारी

[1]सहायक प्राध्यापक शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय छुरिया (छ.ग.)
[2]सहायक प्राध्यापक महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज,रायपुर (छ.ग.)

प्रस्तावना –

छत्तीसगढ राज्य प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। भारत के खनिज क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के उत्तरपूर्वी व मध्य भाग से मिलकर भारत का संपूर्ण खनिज क्षेत्र बना है। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संपन्न राज्यो में से एक अग्रणी राज्य ह। प्रदेश में लगभग 28 विभिन्न प्रकार के खनिज, जिनमें बहुमूल्य रत्न भी सम्मिलित है, पाये जाते है। इनमें हीरा, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाईट, टिन, अयस्क, बाक्साइट, स्वर्ण आदि प्रमुख हैं। हीरा तथा स्वर्ण की उपलब्धता के साथ ही प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर में एक मात्र टिन उत्पादक राज्य तथा विश्व के बेहतरीन लौह अयस्क धारित राज्य होने का गौरव भी प्राप्त हैं।

परिचय–

खनिज संसाधन क्षमता का अधिकाधिक उपयोग एवं राज्य के घरेलू उत्पाद को खनिजों की सहायता से दुगुना करने, खनन के क्षेत्र में एक मजबूत एवं सर्वसम्मत विकास की नीति अपनाने राज्य की खनिज नीति बनायी जाती है। प्रत्येक खनिज धारित राज्य खनिज नीति का क्रियान्वयन करता है जिससे राज्य में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास संभव हो सके। खनन क्षेत्र राज्य के लिए आर्थिक लाभ एवं रोजगार जुटाने के बेहतरीन अवसर प्रदान करने की क्षमता रखता हैं, यद्यपि इस दृष्टि से राज्य के सामने कुछ प्रमुख समस्यायें है, जैसे पूंजी निवेश की कमी, पुरानी तकनीक का उपयोग, कमजोर अधोसंरचना, सीमित निर्यातोन्मुखी अवसर। राज्य के खनन परिलक्षित समस्याओं के निवारण हेतु खनिज नीति का कियान्वयन किया जाता है व समय समय में नीतियों में परिर्वतन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज नीति राज्य की खनिज नीति 2013 में राज्य में उपलब्ध खनिजों के समुचित विकास एवं उपयोग, गुणवत्ता को प्रोत्साहन, खनिज क्षेत्र में स्थानीय एवं विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु व्यवसायिक वातावरण तैयार करने, प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं निर्णयों में पारदर्शिता हेतु नियम बनाये गये हैं। खनिज नीति 2013 के पश्चात् राज्य की ''परिकल्पना 2015''[1] के अनुसार खनन के क्षेत्र में एक मजबूत एवं सर्वसम्मत विकास की नीति के लिए दिशा निर्धारित की गयी है।

राज्य को खनिज नीति की विशेषताएं –

- अधोसंरचना तथा मानव संसाधनों का विकास करना।
- गुणवत्ता को प्रोत्साहन देना तथा खनन विकास करना।
- संस्थागत विकास कार्यकम करना तथा नियमों का परिकरण किया जाना।

खनिज क्षेत्र के विकास के अतिरिक्त उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य खनिज निगम का भी गठन किया गया है। नीति का विशेष उद्देश्य उन अवसरों का सदुपयोग करना है जो राज्य शासन को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत वर्ष 1999–2000 में प्रदत्त अन्य शक्तियों एवं प्रक्रियागत सरलीकरण के कारण निर्मित हुई है। खनिज क्षेत्र में चलाये जा रहे सुधार कार्यो की ओर भी यह नीति इंगित करती है। इस दिशा में राज्य अन्य खनिज बहुल राज्यों से सलाह कर प्रचलित कानूनों में उपयुक्त सुधार एवं नए नियमों का निर्माण करता है।

नीतियों की समीक्षा एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य द्वारा नीति क्रियान्वयन समिति की स्थापना की गई है। समिति के प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव, नीति के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को चिन्हांकित कर हल करते है। इस समिति के अतिरिक्त राज्य जिला स्तर पर कार्य दल (जिसमें संचालनालय तथा स्थानीय उद्योगों के प्रतिनिधि होते हैं) गठित किये जाते हैं, जिनके द्वारा खनिज अन्वेषण रासायनिक विश्लेषण, अवैध खनन तथा परिवहन रोकने तथा राजस्व निर्धारण एवं राजस्व चोरी रोकने हेतु कार्य योजना बनायी जाती है। इस नीति के क्रियान्वयन में राज्य द्वारा पर्यावरण एवं सामाजिक पहलुओं के मध्य समन्वय सुनिश्चित किया जाता है एवं परिस्थितिकीय संतुलन के पालन एवं उन्नयन के प्रति उद्यमियों को जागरूक किया जाता है ।

अधोसंरचना एवं मानव संसाधन का विकास –

[1] खनिज नीति 2013 प्रकाशित संचालनालय भौमिक तथा खनिकरण

RRIJM 2015, All Rights Reserved

खनिज क्षेत्र की सुदृढ़ता हेतु अधोसंरचना तथा मानव संसाधनों का विकास करना आवश्यक है, जिससे खनिजों के उपयोगकर्ता, कच्चे माल के स्त्रोत एवं मध्यवर्ती उपयोगकर्ता के बीच आपसी समन्वय स्थापित होना आवश्यक है। इस हेतु राज्य की खनिज नीति में निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :–

- अधोसंरचना के विकास के समय खनिज उद्योग की आवश्यताओं का ध्यान रखा जाता है। अधोसंरचना सुविधाओं के निर्माण हेतु योजना बनाने एवं उनका क्रियान्वयन करने वाले विभाग जैसे छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग आदि के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।
- खनिज प्राप्त सुदूर क्षत्रों के विकास के लिये सड़क, खनिजों के राज्य के भीतर एवं बाहर परिवहन हेतु आवश्यक रेल लाईनों का निर्माण किया जाता है। इस हेतु राज्य सरकार, जहॉ संभव हो, पहुंच मार्ग बनाने हेतु केन्द्र सरकार योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि से आंशिक सहायता प्राप्त करती है।
- ऊर्जा नीति के तहत् खनिज आधारित उद्योगों को स्वयं के उद्योग हेतु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- खनिज क्षेत्र के तकनीकि ज्ञान जैसे भूविज्ञान, प्रस्तर विज्ञान, भू–रसायन, भू–भौतिकी, पर्यावरण विज्ञान, खनिज प्रसंस्करण आदि के लिये आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाता है।
- विभाग में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी व प्रशिक्षण हेतु देशतथा विदेशभेजा जाता है।
- खनन कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने विशेष खनिज क्षेत्रों की पहचान हेतु सभी जिलों के लिये ''जोनिंग एटलस'' तैयार किये जाते हैं जिससे समूह खनन पद्धति को प्रोत्साहित किया जा सके ताकि परिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ने न पाये।
- खनिज उत्खनन हेतु उपयुक्त स्थलों का विकास कर उन्हें पट्टे पर देने की कार्यवाही को प्रोत्साहित किया जाता है। खनिज पट्टे के लिये न्यूनतम क्षेत्रों की समीक्षा की जाती है एवं सुरक्षित भूमि अधिकार उपलब्ध कराये जाते है जिससे निवेशक खनन क्षेत्रों में अधिकाधिक नियेाजन सुरक्षित रूप से कर सके।
- औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु मुख्य अधोसंरचना जैसे सड़क, बिजली, पानी, सचार व्यवस्था का विकास किया जाता है तथा बड़े औद्योगिक क्षेत्र होने की स्थिति में सामाजिक अधोसंरचना जैसे अस्पताल, शाला आदि का निर्माण कराया जाता है।
- खनिज क्षेत्र में नये निवेशकों को आकर्षित करने हेतु रत्न तथा आभूषण पार्क की स्थापना कर निवेश में वृद्धि की जाती है।

गुणवत्ता संवर्धन तथा खनिज विकास –

खनिज क्षेत्र के अन्वेषण एवं पूर्वेक्षण हेतु निजी क्षेत्रों से भागीदारी में वृद्धि, प्रदेश में उपलब्ध बिखरे छोटे भण्डारों का समुचित दोहन एवं विकास हेतु सतत् प्रकिया आवश्यक है। इस हेतु राज्य में निम्नलिखित कदम उठाये जाते है –

1. अनुसंधान एवं विकास

खनिज भण्डारों के आंकलन तथा खनिज धारित क्षेत्रों की पहचान हेतु चलाये जा रहे सुदूर संवेदी, टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण, विस्तृत भौमिकी मानचित्रण कार्यक्रमों का विस्तार, निम्न श्रेणी अयस्कों को उपयोगी बनाने हेतु परिष्करण विषयक अध्ययन किया जाता है। दुर्लभ खनिजों के लिए प्रतिस्थापना अध्ययन तथा छोटे खनिज भण्डारों के औद्योगिक उपयोग हेतु प्रयास किये जाते है। राज्य शासन द्वारा वर्तमान में स्थित प्रयोगशालाओं में सुधार हेतु कदम उठाये जाते हैं। राज्य में रासायनिक, प्रस्तर, भू–भौतिकी तथा फोटो–भौतिकी प्रयोगशालाओं को आधुनिक उपकरण प्रदान कर सुसज्जित किया गया है। आधुनिक एवं पर्यावरण संवेदी तकनीकों की उपलब्धता को उपकरणों, यंत्रो तथा मशीनों के माध्यम से सुलभ बनाया जाता है।

2. निर्यात संवंर्धन

छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज सपदा को विश्वव्यापी बाजार में पहचान दिलाने व आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य द्वारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रर्दशनीयों, व्यापार मेलों तथा सेमिनारों का आयोजन तथा उनमें उपस्थिती दर्ज करायी जा रही है। साथ ही राज्य के खनिज बाजार की अद्यानुतन जानकारी सुलभ कराने हेत भ्रमण/दौरों का आयोजन किया जाता है। विभाग द्वारा संभावित निवेशकों को आकर्षित करने हेतु त्रैमासिक पत्रिका 'छत्तीसगढ़ खनिज बुलेटिन' का प्रकाशन तथा वितरण किया जाता है। खनिज व्यापार के लिये वित्तीय योजनाओं को स्थापित करने प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विदेशी क्रेताओं को स्थानीय वितरकों के साथ जोड़ने,बाजार अंश को बढ़ावा देने एवं बाजार में नई संभावनाओं की पहचान हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रदेश में निर्यातोन्मुखी उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को खनिज पट्टा स्वीकृति में प्राथमिकता देने हेतु नियम बनाये गये हैं। खनिजों को मूल्य सवंर्धित रूप में निर्यात को बढ़ावा देने प्रयास किये जा रहे हैं। खनिज

संसाधनों के वास्तविक मूल्य आंकलन हेतु प्रदेश के खनिज भण्डारों को धीरे–धीरे संयुक्त राष्ट्र प्रवर्तित वर्गीकरण ढांचा (यू.एन. फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन सिस्टम) के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है।

3. निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहन

खनिज आधारित उद्योगों का राज्य में विस्तार करने हेतु विभाग द्वारा कई नियम बनाये गये है जिससे राज्य में निजी क्षेत्रों की भागीदारी में वृद्धि होगी। निजी क्षेंत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु खनिज आधारित उद्योगों को विशेष उद्योग का दर्जा प्रदान कर उद्योग नीति के तहत् प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। बहुमूल्य खनिज जैसे हीरा तथा अन्य रत्न, स्वर्ण, आधारभूत धातु, टिन, बाक्साइट आदि हेतु निजी/विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। खनिजों की अद्यतन जानकारी तैयार कर खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया। निजी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों में पाये जाने वाले खनिज भण्डारों को खनन हेतु अनुमति प्रदान किया गया जिससे खनिज ससाधनों का विकास व प्रदेश के अविकसित क्षेत्रों का भी विकास संभव हो सके। इस प्रकार की अनुमति देते समय आदिवासी जनता के हितों को संरक्षित किया जाता है । इसके अंतर्गत विस्तृत पुनर्वास योजना समाहित होती है। उपयुक्त खनन क्षेत्रों एवं सार्वजनिक उपक्रमों हेतु आरक्षित क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें निजी क्षेत्रों को खनन हेतु उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश में प्रोसेसिंग परिकरण संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को खनिज पट्टा स्वीकृति में प्राथमिकता दी जाती है।

4. ग्रेनाइट भण्डारों का विकास तथा लघु पैमाने पर खनन

राज्य में बहूमूल्य ग्रेनाइट भण्डारों के विकास एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के '' ग्रेनाइट संरक्षण तथा विकास नियम 1999''1 को प्रदेशमें लागू किया गया है। ग्रेनाइट के खनन हेतु वन क्षेत्रों में ''समूह खनन'' को बढ़ावा देने की दृष्टि से छोटे आकार की निकटवर्ती ग्रेनाइट अनुज्ञप्तियों को स्वीकार किया जाता है। ग्रेनाइट खदानों जिनमें निजी–सार्वजनिक क्षेत्र की साझेदारी हो उनके विकास को प्राथमिकता दी जाती है। ग्रेनाइट खनन से उत्पन्न निरूपयोगी टुकड़ो को अलग से एकत्रित कर इस पर सामान्य इमारती पत्थर की दर से राजस्व वसूल किया जाता है। छोटे भण्डारों की औद्योगिक उपयोगिता निर्धारित करने हेतु उनका विस्तृत पूर्वेक्षण किया जाता है। आर्थिक दोहन को छोटे भण्डारों हेतुप्रोत्साहित कर वैज्ञानिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। छोटे खनिज भण्डारों के दोहन अपेक्षाकृत व्यवस्थित क्षेत्र में परिवर्तित करने हेतु कार्ययोजना बना कर अनुसूचित क्षेत्रोंमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते है। खनिजों के अधिकतम दोहन तथा तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान को सुगम बनाने हेतु स्थानीय छोटे खनिजों तथा बड़े विनियोजकों के मध्य साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रसंस्करण तथा खनिज विपणन व्यवस्था को सहयोगी सेवायें उपलब्ध करायी जाती है।

संस्थागत विकास एवं नियमों का परिशोधन –

खनिज क्षेत्रों के दीर्घकालीन विकास को सुनिश्चित करने एवं निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु एक स्थिर पारदर्शी तथा प्रभावी संस्थागत एवं नियामक ढ़ॉचा स्थापित किया गया है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म में संभावित निवेशकों को मार्गदर्शन/सेवायें उपलब्ध कराने हेतु एक विशेष कक्ष की स्थापना की गयी है। संचालनालय भौतिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ तथा प्रदेशमें खनिज अन्वेषण हेतु कार्यरत अन्य केन्द्रीय संस्थाओं के मध्य अन्वेषण कार्य की पुनरावृत्ति से बचने हेतु समन्वय स्थापित किया जा रहा है। शासन, खनन समूहों एवं अन्य शासकीय विभागों जैसे वन, राजस्व भूमि, पर्यावरण आदि के मध्य खनिज क्षेत्र में प्रभावी विकास की दृष्टि सेएक औपचारिक परामर्श विधि स्थापित की गयी है। विभाग में राज्य खनिज विकास निगमकी स्थापना नोडल एजेंसी के रूप में खनिज विकास हेतु की गई है। निगम द्वारा कार्यरत खदानों में श्रेणी सत्यापन हेतु सहयोग, खनिज आधारित उद्योगों, तथा अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण आदि में निवेश हेत, प्रेरित किया जाता है।

1. नीतिगत एवं नियामक सुधार

विभाग द्वारा खनिज नीति के अंर्तगत नीतिगत एवं नियामक सुधार हेतु प्रकिया निर्धारित कर सुधार कार्यकम आयोजित किये जाते हैं। लघु एवं दीर्घ पैमाने की खनन संक्रियाओं को एक करने हेतु अनुज्ञा प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है। खनिज रियायतें स्वीकृत करने हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है जिसके अंतर्गत मुख्य खनिजों के प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजे जाते हैं व गौण खनिजों हेतु नियम राज्य में बनाये जाते हैं। कोयला, हीरा, लौह अयस्क, आदि की रॉयल्टी (राजशुल्क) दरों में समयबद्ध पुनरीक्षण हेतु भारत शासन से अनुरोध किया जाता है । केन्द्र शासन द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अनुरूप अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन तथा खनिज राजस्व की हानि रोकने हेतु कठोर प्रावधान किये जाते है। गौण खनिजों खदानों को नीलामी द्वारा प्रदाय करने के अधिकार जिला कलेक्टर को दिये गये है व इनमें प्राप्त राजस्व ग्राम पंचायतों के विकास हेतु सुरक्षित रखा जाता हैं। निर्यात संवर्धन, परिष्करण/प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना आदि के आधार पर सर्वोत्तम आवेदक के चयन हेतु ''पहले आओ पहले पाओ''1 को आधार मानने के स्थान पर जिस दिनांक क्षेत्र अनारक्षित घोषित किया गया हो उससे 30 दिन के अंदर प्राप्त आवेदन पत्र को

RRIJM 2015, All Rights Reserved 

प्राथमिकता दी जाती है। निरीक्षण करने हेतु श्रेणी विशेषकों व अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। निरीक्षण गलती निकालने की दृष्टि से नहीं वरन वेधन, विस्फोटक, लोडिंग, परिवहन, सुरक्षा, संरक्षण, तकनीकी पुनर्निर्माण एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के आंकलन हेतु किये जाते हैं।

2. पर्यावरण संरक्षण हेतु नियमों का निर्धारण

विभाग द्वारा खनिज पट्टों के अनुबंध में वृक्षारोपण, खदान से निकले अनुपयोगी पदार्थो को अन्य स्थान पर एकत्रित करने, बंद खदानों के समुचित उपयोग आदि के संबंध में शर्तें सम्मिलित की गयी है तथा इनका पालन आवश्यक किया गया है। अनुबंधों के उल्लंघन करने पर राज्य शासन द्वारा खनिज पट्टों को निरस्त कर दिया जाता है। बंद खदानों का उपयोग भूमिगत जल के पुर्नभरण किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। पर्यावरण हेतु सुरक्षित तकनीकों तथा खनन विधियों के उपयोग को प्रोत्साहन तथा बढ़ावा सुनिश्चित किया गया है। पर्यावरण आडिट एवं सुधार के क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं। पर्यावरण की दुष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों मे राज्य ''पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन''1 तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। ''खनिज विकास निधि''2 के निर्माण हेतु कार्यवाही की जाती है।

3. सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहन

राज्य खनिज नीति के अंर्तगत सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु गौण खनिजों के पट्टे स्वीकृत करने हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों/महिलाओं की सहकारी समितियों, बेरोजगार युवकों आदि को प्राथमिकता प्रदान करना। वृहत स्तरीय खनन कंपनियों तथा लघु स्तरीय खनन उद्यमियां के मध्य परस्पर लाभ हेतु सहयोग विकसित करने हेतु व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। विस्तृत पुर्नवास योजना विकसित करना, स्थानीय जनता के हितों की रक्षा हेतु उन्हें खनिज विकास से होने वाले आर्थिक लाभ बाबत् शिक्षित करना।

4. खनिज प्रशासन का सुदृढ़ीकरण

जिला कार्यालयों को कम्प्यूटर के माध्यम से संचालनालय से जोड़कर विभिन्न जानकारियां/पीरियोडिकल रिटर्न्स ऑन–लाईन कराने की प्रक्रिया लागू की गयी है। संचालनालय, क्षेत्रिय कार्यालय व जिला कार्यालयों को आधुनिकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।

5. खनिजां के अवैध खनन व परिवहन पर नियंत्रण

परिवहन में सर्तकता सुनिश्चित करने हेतु अन्य विभागों के समन्वय से तौल मशीन तथा जांच चौकियों की स्थापना की गयी है। खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण रखने के लिये विद्यमान नियमों को और अधिक कठोर एवं पभावशाली बनाये गये हैं। खनिजों के परिवहन के लिए राज्य में चरणबद्ध रीति में ई परमिट पद्धति को विकसित किया गया है।अवैध उत्खनन का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय रिजाल्युशन उपग्रह डाटा को उपयोग में लाया जाता है।

निष्कर्ष –

खनिज विकास से संबंधित राज्य सरकारां की भूमिका को खनिज नीति में विस्तृत रूप से अध्ययन कर पाया कि नियमों व अधिनियमों की समीक्षा कर उन्हें मूल विशेषताओं के अनुकुल बनाया गया है। इस नीति में बुनियादी सुविधाओं के अनुरूप राज्य के खनन कार्यो में सुविधा, अन्वेषण व खनन का विनियमन निहित है। खनन कार्यकलापों में राज्य एजेंसी व विनियामकों के बीच वांछित दूरी कायम रखी गयी है। खनिज प्रक्षेत्र में दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने तथा निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु एक स्थिर, पारदर्शी, प्रभावी संस्थागत एवं नियामक ढ़ॉचा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

संदर्भित ग्रंथ सूची


1. छत्तीसगढ़ राज्य खान एवं खनिज (विनिमय तथा विकास)
2. छत्तीसगढ़ राज्य खनिज रियायत नियम
3. छत्तीसगढ़ राज्य खनिज नीति 2013
4. खनिज संरक्षण तथा विकास नियमावली
5. www.chhttisgarhmines.gov.in
6. www.mines.nic.in
7. www.cmdc.co.in
8. छत्तीसगढ़ राज्य में ''खनिज साधन विभाग'' के प्रबंधन व संगठन व्यवस्था एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन (2003–2013 तक) डॉ. श्वेता तिवारी, डॉ. एच. एस. भाटिया।


RRIJM 2015, All Rights Reserved 